न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 88/2022 (GCMS No. 2022/93) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामजीलाल पुत्र श्रीचंद जाति मीना निवासी दलीपुर तहसील व जिला करौली।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली।

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 20.06.2022 मु.नं. 04/22 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल।

उपस्थिति:–

1. श्री नवलकिशोर शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य

दिनांक : 17.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में नियमानुसार काश्त नहीं करना बताकर और हल्का पटवारी द्वारा बिना भौतिक निरीक्षण किये गिरदावरी पर विश्वास करते हुये अपीलान्ट का आवंटन तकनीकि आधार पर अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय परवर्स आरवीटेररी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलान्ट को आवंटित भूमि मौके पर काबिल काश्त है जिसे अपीलान्ट ने काविल काश्त वनाया है तथा पूर्व में भूमि जोत लगाकर काश्त की गई है। आवंटित भूमि आवंटन के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में नियमानुसार काश्त नहीं की गई। इस संवंध में गिरदावरी पर विश्वास किया है जबकि सत्यता यह है कि अपीलान्ट आवंटी द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में तथा उसके पश्चात आगामी वर्षों में भूमि पर जोत लगाकर काश्त की गई किन्तु संबंधित हल्का पटवारी द्वारा भूमि का भौतिक निरीक्षण किये बिना ही गिरदावरी भरी गई है। अपीलान्ट के हक में भूमि आवंटन करीब 47 वर्ष पूर्व हुआ और अपीलान्ट भूमिहीन कृषक है। आवंटनशुदा भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि अपीलान्ट के पास नहीं है। अपीलान्ट ने किसी भी नियम की अपालना नहीं की है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट का आवंटन महज तकनीकि आधार पर खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 20.06.2022 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के हक में दिनांक 17.10.1975 को भूमि खसरा नम्बर 239/8 वर्तमान ख.नं. 286 रकवा 5 बीघा ग्राम दलीलपुर का आवंटन बहाल रखा जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अंपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 239 वांके ग्राम दलीलपुर वक्त आवंटन चारागाह रही है। उक्त आराजी में से अपीलान्ट को रकवा 5 बीघा आवंटन करते हुये बटा नम्बर 239/5 आवंटित किया गया। जिसका हाल खसरा नम्बर 289 रकवा 1.27 हैक्टे. है। चारागाह भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है। जिसको आवंटन नहीं किया जा सकता हो ऐसा

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कोई विधिक दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजी पर उनके द्वारा काश्त की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये सम्पूर्ण तथ्यों की गुणावगुण पर विवेचना करते हुये आदेश पारित किया है। जिसमें न्यायालय के मत में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 20.06.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर